

बिहार सरकार
वाणिज्य-कर विभाग
—:अधिसूचना:—

संचिका संख्या :—6/वे0नि0-08-06/2014

पटना, दिनांक—

श्री दया शंकर सिंह, राज्य-कर संयुक्त आयुक्त, दानापुर अंचल-1, दानापुर को बिहार सेवा संहिता के नियम-227, 230 एवं 248 के तहत दिनांक-09.02.2026 से 06.03.2026 तक कुल 26 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्रतिवेदित श्री सिंह के पक्ष में देय उपार्जित अवकाश आदेयता में से उक्त अवकाश को घटाने के उपरान्त (300-26=274) (दो सौ चौहत्तर) दिन उपार्जित अवकाश शेष रह जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(विजय कुमार)

उप सचिव,

वाणिज्य-कर विभाग,

बिहार, पटना।

ज्ञापांक:—6/वे0नि0-08-06/2014 393

/पटना, दिनांक—30/01/26

प्रतिलिपि:—प्रभारी पदाधिकारी, वित्त(वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना-800015 /कोषागार पदाधिकारी, समाहरणालय कोषागार, पटना/राज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्रभारी), दानापुर अंचल-1, दानापुर/राज्य-कर संयुक्त आयुक्त-सह-नोडल पदाधिकारी, एच0आर0एम0एस0, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना एवं श्री दया शंकर सिंह, राज्य-कर संयुक्त आयुक्त, दानापुर अंचल-1, दानापुर को सूचनार्थ प्रेषित।

उप सचिव,

वाणिज्य-कर विभाग,

बिहार, पटना।